


राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- ई-20/म0स्वा0कार्य0/स्थाईकरण /18/ दिनांक:-

परिपत्र

नर्सिंग/सीधी-भर्ती 2013 के अंतर्गत चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निदेशालय के विभिन्न आदेशों के द्वारा नियुक्तियों प्रदान की गयी थी, जिनमें से अधिकांश कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल पूर्ण कर लिया गया है। जिनका नियमितकरण कर पै-मैट्रिक्स/पे लेवल स्वीकृत किया जाना है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है, फलस्वरूप नर्सिंग/सीधी भर्ती-2013 के अंतर्गत नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दो वर्ष परीवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उनका नियमितकरण कर पै-मैट्रिक्स/पे लेवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर पर ही स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-20/म0स्वा0कार्य0/स्थाईकरण /18/1907 दिनांक:- 05/06/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
2. समस्त अधीक्षक, सबंध/संलग्न चिकित्सा, राजस्थान।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।